

ज्यायालय, सहायक क्लेक, जयपुर प्रथम

फर्द अहकाम

य

बोर्ड

बनाम

कजोड

T. 23/2023

नांक आका या कार्यावली

आका विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

23<sup>4</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा टापिरा प्रतिवादी सं. 1 व 4 का जबाब पूर्व में बंद हो चुका है। आज भी प्रतिवादी 1 व 4 की तरफ से कोई टापिर नहीं। शेष प्रतिवादीगण की स्कपसीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लानी जा चुकी है।

श्री प्रार्थी अधिवक्ता की स्कपसीय बहस ~~चुकी~~ प्रार्थना-पत्र अर्थात् चरा-212, राज. कारतकारी अधिनियम या चुनी गयी। दौरान बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थना-पत्र

१



Handwritten notes and stamps at the bottom right.

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर प्रथम


फर्द अहकाम

बोडू

बनाम कजौड़

नाम न्यायालय

केस संख्या T.O.I. 23/2023.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23 $\frac{4}{24}$		<p>के चरण संख्या-2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>फैसला आज दिनांक 23 <math>\frac{4}{24}</math> को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर जयपुर नगर न्यायालय</p>